## महत्वपूर्ण एवं खास

### हितग्राहियों से रिश्वत लेने के कारण रोजगार सहायक की सेवा समाप्त

**सारंगढ़ बिलाईगढ़।** जिले के बिलाईगढ़ विकासखंड के ग्राम पंचायत झुमका में कार्यरत ग्राम रोजगार सहायक निर्मला बकावले के विरुद्ध हितग्राहियों से अवैध रूप से राशि वसूल किए जाने की शिकायत प्राप्त हुआ था। शिकायत पर किए गए जांच प्रतिवेदन के निष्कर्ष अनुसार संबंधित ग्राम रोजगार सहायक की तत्काल सेवा समाप्त किया गया है। इस आशय के पत्र परियोजना निदेशक हरिशंकर चौहान ने जारी किया है।(रायपुर) महतारी वंदन योजना की दूसरी किस्त आएगी 2 या 3 को

रायपुर, 01 अप्रैल (आरएनएस)। कल 2 या 3 अप्रैल को आएगी महतारी वंदन योजना की दूसरी किस्त। वित्तीय वर्ष खत्म होने के चलते आज यानी एक अप्रैल को किस्त नहीं मिलेगी। बता दें कि पिछले महीने लगभग 70 लाख महिलाओं को महतारी वंदन का लाभ मिला था। 655 करोड़ रुपये की राशि मुख्यमंत्री ने जारी की थी।

### ट्रक ने बाइक को मारी टक्कर, एक की मौत

**जशपुर (आरएनएस)।** लवाकेरा ओडिशा स्टेट हाइवे पर दर्दनाक सडक़ हादसा हुआ है। जिसमें एक मोटरसाइकिल सवार की मौत हो गई और दो युवक गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने घायलों को तुरंत अस्पताल में भर्ती करवाया और मृतक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजवाया है। यह मामला तपकरा थाना क्षेत्र का है। जानकारी के अनुसार सुबह एक बाइक पर तीन युवक सवार होकर लवाकेरा ओडिशा स्टेट हाइवे पर जा रहे थे तभी पीछे से तेज रफ्तार ट्रक ने रौंद दिया। इस हादसे में एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई। जबकि दो युवक गंभीर रूप से घायल है। घायलों का अस्पताल में इलाज जारी है। पुलिस ट्रक चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर कार्रवाई में जुट गई है।

### ग्राम सेमरा में 6 लीटर महुआ शराब के साथ आरोपी गिरफ्तार, पुसौर पुलिस की शराब रेड कार्यवाई

**रायगढ़।** अवैध शराब पर कार्रवाई के क्रम में आज दिनांक 01/04/2024 को पुसौर पुलिस की टीम द्वारा मुखबीर सूचना पर ग्राम सेमरा के फुल साय चौहान को गांव के सार्वजनिक मंच के पास अवैध रूप से महुआ शराब बिक्री करने के लिये रखे 2-2 लीटर वाले प्लास्टिक बोतल में रखा हुआ 06 लीटर महुआ शराब के साथ पकड़ा गया है। आरोपी फुलसाय चौहान पिता मनैजर चौहान उम्र 50 साल साकिन सेमरा थाना पुसौर जिला रायगढ़ के विरूद्ध थाना पुसौर में धारा 34(2), 59(क) आबकारी एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है। थाना प्रभारी पुसौर निरीक्षक रोहित बंजारे के हमराह शराब रेड कार्रवाई में सहायक उप निरीक्षक उमाशंकर विश्वाल और आरक्षक ओशनिक विश्वाल शामिल थे।

### तेज रफ्तार कार अनियंत्रित हो डिवाइडर से टकराई, दो को चोंट

**कोरबा (आरएनएस)।** बीती रात तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकराने के बाद पलट गई। घटना में कार के सामने का हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया और उसमें सवार दो लोगों को मामूली चोंटें लगी। घटना सीएसईबी चैकी क्षेत्र अंतर्गत महाराणा प्रताप चैक से घंटाघर के मध्य स्थित कोरबा कंप्यूटर कालेज के पास हुई। बताया जा रहा है कि दुर्ग आरटीओ पासिंग इस कार की रफ्तार काफी तेज थी और उसमें शराब के नशे में दो युवक सवार थे। दूसरी वाहन को ओवरटेक करने के दौरान यह घटना हुई। घटना के बाद स्थल पर लोगों की भीड़ लग गई। इससे जाम की स्थिति निर्मित हो गई। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल पर लगे जाम को हटवाया गया और आगे की जांच पड़ताल में जुट गई। प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि दुर्घटना इतनी जबरदस्त थी कि कार के सामने का हिस्सा क्षतिग्रस्त होने के साथ ही एयरबैग खुल गया। इससे कार में सवार लोगों को मामूली चोंटे लगी।

# शेयर ट्रेडिंग के नाम पर हुई एक करोड़ 29 लाख की धोखाधड़ी के मामले का खुलासा, 6 गिरफ्तार

**दुर्ग । आरएनएस**

जिले के भिलाई में पुलिस ने एक बड़े फर्जीवाड़े का खुलासा किया हैं। पुलिस ने अलग-अलग लोगों से करीब 1 करोड़ 29 लाख रुपये की ठगी करने के मामले में छह आरोपियों को गिरफ्तार किया हैं और उनके पास से कई एटीएम कार्ड समेत करीब 35 लाख का सामान जब्त किया हैं। आरोपी शेयर बाजार में निवेश करने वालों को अपने निशाने पर लेते थे। खासकर ऐसे लोग जिनके पास डीमेट अकाउंट मौजूद थे। पुलिस ने बताया हैं कि आरोपियों ने गूगल प्ले स्टोर पर फर्जी एप अपलोड कर लिया था। वे लोगों को वेबसाइड में फर्जी डैशबोर्ड में फायदा दिखाकर झांसे में लेते थे। पीड़ित बड़ा फायदा देखकर आसानी से उनके झांसे में आ जाते थे। एसीसीयू और पद्मनाभपुर थाना पुलिस ने इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया हैं।

मिली जानकारी के अनुसार दिनांक 18 मार्च 2024 को आवेदक रोहित बघेल उम्र 62 वर्ष निवासी आदर्ष नगर दुर्ग थाना पद्यमनाभपुर उपस्थित होकर लिखित रिपोर्ट दर्ज कराया कि आर.के.टेक्नालॉजी कम्पनी के कर्मचारी सिद्धार्थ सक्सेना द्वारा शेयर बाजार में ट्रेडिंग के नाम पर डी-मेट एकांउट खुलवाकर कुल रकम 01 करोड़ 29 लाख रूपये शेयर में निवेष कराने का झांसा देकर धोखाधड़ी किया है। प्रार्थी की रिपोर्ट पर थाना पद्यमनाभपुर में धारा 420, 467, 468, 471, 406, 34 भादवि कायम कर विवेचना में लिया गया। उक्त घटना को अत्यन्त गंभीरता से लेते हुए पुलिस अधीक्षक जितेन्द्र शुक्ला (भापुसे) के द्वारा धोखाधड़ी करने वाले गिरोह की पतासाजी कर उनके विरूद्ध कार्यवाही करने हेतु निर्देश दिये। जिसके परिपालन में थाना पद्यमनाभपुर तथा एसीसीयू की एक संयुक्त टीम गठित कर टीम को कार्यवाही हेतु लगाया गया था। टीम द्वारा प्राथी से संपर्क स्थापित कर घटना से संबंधित विस्तृत जानकारी जैसे कि घटना अवधि के दौरान प्रार्थी के मोबाईल पर आने वाले नम्बरों एवं टेऊडिंग कार्य को संचालित करने के लिए पैसो के लेने देन में उपयोग होने वाले बैंक एकाउण्ट के संबंध में एकत्रित किया जाकर सूक्ष्मता से विष्लेषण किया गया। मोबाईल नम्बरों के कॉल डिटेल प्राप्त किये गये, ठगी में उपयोग किये विभिन्न बैंकों के खातों का स्टेटमेंट प्राप्त किया गया, जिनका सूक्ष्मता से विष्लेषण करने पर यह जानकारी प्राप्त हुयी कि घटना करने वाले आरोपियों द्वारा घटना उत्तर प्रदेश के झांसी शहर में रहकर कारित की जा रही है एवं पैसों का आहरण एक खाता से दूसरे खाता में जमा कराया जाकर मध्यप्रदेष के छत्तरपुर, ग्वालियर, राजनगर, भोपाल, झांसी (उ.प्र.) से एटीएम के माध्यम से रकम की निकासी की जा रही है। आरोपियों की उपस्थिति लगातार परिवर्तित हो रही थी जिससे वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देष पर एक विषेष टीम निरीक्षक अम्बर सिंह के नेतृत्व में भोपाल के लिए रवाना किया गया। आरोपियों की उपस्थिति लगातार भोपाल से ग्वालियर, षिवपुरी, इंदौर फिर झांसी में होना पता चला, जिसके आधार पर टीम झांसी पहुंचकर आरोपियों की पतासाजी उनके उपस्थिति के आधार पर कर रही थी। इसी दौरान स्थानीय स्तर पर पतासाजी करने पर झांसी स्थित सर्व नगर में चावड़ा बिल्डर्स के अपार्टमेन्ट में कुछ संदिग्ध व्यक्तियों की उपस्थिति का होना पता चला। प्रकरण से संबंद्ध मोबाईल नम्बरों का लोकेषन भी उसी स्थान पर पाये जाने से टीम द्वारा लगातार पतासाजी के उपरांत चावड़ा बिल्डर्स के तीसरे माले में स्थित एक अपार्टमेन्ट को चिन्हित कर दबिश दी गयी। जहाँ आकाष चौहान, अमित यादव, गौरव सिंह परमार, दिग्विजय सिंह बुंदेला, शिवम यादव एवं बाबू रैंकवार को पकड़ा गया, जिनके कब्जे से घटना में प्रयुक्त मोबाईल फोन व सिम कार्ड प्राप्त हुआ। जिनसे पृथक-पृथक विस्तृत पूछताछ करने पर आकाश उर्फ लक्की के द्वारा छद्म नाम सिद्धार्थ सक्सेना, अमित यादव के द्वारा छद्म नाम राहुल गुप्ता व विक्रांत गुप्ता के नाम से प्राथी को मोबाईल फोन के माध्यम से बातचीत कर ठगी करना, गौरव सिंह परमार उर्फ हमीद उर्फ अमित शर्मा, दिग्विजय सिंह, शिवम यादव उर्फ राम उपाध्याय, बाबू रैकवार उर्फ अमन के द्वारा ठगी की घटना में बैंक खातों की व्यवस्था करना, बैंक से एटीम के माध्यम से रकम निकासी करना तथा बैंक एकाउण्टों का संधारण करना स्वीकार किये।

पूछताछ पर आरोपियों के द्वारा धोखाधड़ी की घटना में फरार आरोपी मास्टर माइंड जितेन्द्र परमार एवं यषवर्धन सिंह परमार डारेक्टर होना जिनके द्वारा धोखाधड़ी करने के लिए बैंक खाते, सिम कार्ड, मोबाईल फोन, कम्प्यूटर सिस्टम एवं ठगी की घटना को अंजाम देने के लिए लोगों के पर्सनल डाटा उपलब्ध कराना बताया गया।

## शासकीय नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी, आरोपी पर अपराध दर्ज

**कोरबा । आरएनएस**

अपने आपको शासकीय कर्मचारी बताकर एक पान दुकान के संचालक को एक व्यक्ति ने ठग लिया। संचालक को सिंचाई विभाग व उसकी बहन को राजस्व विभाग में पटवारी पद पर नौकरी दिलाने के नाम पर सात लाख रूपये ले लिया। साथ ही फर्जी नियुक्ति पत्र भी थमा दिया।

ढोढीपारा निवासी विकास राठौर पान दुकान का संचालन करता है। उसने पुलिस को बताया कि भीखारी लाल कर्ष से सका परिचय बजरंग श्रीवास निवासी बुधवारी बाजार ने कराया था। साथ ही कहा था कि भिखारी लाल कर्ष नौकरी लगवाता है, इसके साथ ही उसके घर भी ले गया। विकास अपने मित्र के बात में आ गया और उसने भीखारी लाल से नौकरी लगाने के संबंध चर्चा की। इस बीच दिसंबर 2016 के अंतिम सप्ताह से फरवरी 2017 के मध्य विकास ने भीखारी लाल को चरणबद्ध ढंग से सात लाख रूपये दिए। दोनों के मध्य समझौता हुआ कि इस राशि के एवज में उसे (विकास) सिंचाई विभाग में पटवारी तथा उसकी बहन पिंकी रानी को राजस्व विभाग में पटवारी के पद पर नौकरी दिलाएगा। इस बीच उसने अपर सचिव छग शासन क्षेत्रीय कार्यालय (कलेक्टोरेट) रायपुर महानदी भवन नया रायपुर अटल नगर के आदेश का लिपिक पद का फर्जी नियुक्ति पत्र दे दिया।

बाद में सच्चाई सामने आने पर उसने रूपये वापस करने के लिए दबाव बनाया, तब रुपये वापसी का दबाव बनाए जाने पर उसके द्वारा एक शपथ पत्र 10 नवंबर 2019 के साथ ही छह लाख रूपये का चेक दिया, इसमें तारीख अंकित नहीं था। साथ ही एक लाख रुपये ट्रांसफर करने का भरोसा दिलाया। इसके बावजूद राशि वापस नहीं की। पीड़ित की शिकायत पर सिविल लाइन थाना पुलिस ने भिखारी लाल कर्ष के विरुद्ध धारा 420, 467, 468, 471 के तहत मामला दर्ज कर विवेचना कर रही है।

## हाथियों के दल ने ग्रामीण क्षेत्रों में रौंदी फसल

**कोरबा । आरएनएस**

वनमंडल कोरबा के कुदमुरा रेंज में पड़ोसी धरमजयगढ़ वनमंडल से अचानक पहुंचे हाथियों ने बीती रात रेंज के गीतकुंवारी व श्यांग नामक गांव में 9 ग्रामीणों की धान की फसल को रौंद दिया। जिससे संबंधितों को भारी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ा है।

जानकारी के अनुसार तीन हाथियों ने बीती रात कुदमुरा वन परिक्षेत्र की सीमा में प्रवेश किया और दो अलग-अलग स्थानों पर पहुंचकर उत्पात मचाते हुए 9 ग्रामीणों के खेतों में लहलहा रहे धान की रबी फसल को रौंद दिया। जानकारी के अनुसार गीतकुंवारी में पहुंचकर एक हाथी ने चार ग्रामीणों की फसल को नुकसान पहुंचाया वहीं श्यांग में पहुंचे दो हाथियों ने पांच ग्रामीणों की फसल को क्षतिग्रस्त कर दिया है। पीडित ग्रामीणों द्वारा सूचना दिए जाने पर वन विभाग के अधिकारी और कर्मचारी आज सुबह मौके पर पहुंचे और नुकसानी का आंकलन करने के साथ ही रिपोर्ट तैयार की। वहीं आसपास के गांव में मुनादी कराकर ग्रामीणों को सतर्क करने का काम भी शुरू कर दिया गया है। ग्रामीणों से कहा जा रहा है कि क्षेत्र में एक बार फिर हाथियों की दस्तक हो गई है अतरू वे इनसे दूरी बनाए रखें। उधर कटघोरा वनमंडल अंतर्गत केंदई रेंज के कापानवापारा व जातामाटी गांव में 31 हाथियों को दल अभी भी मौजूद है। हाथियों के इस दल ने अभी कोई बड़ा नुकसान नहीं पहुंचाया है फिर भी वन विभाग सतर्कता बरतते हुए हाथियों की लगातार निगरानी में जुटा हुआ है।

## जूटमिल पुलिस की शराब रेड कार्यवाई में 11 बल्क लीटर महुआ शराब के साथ युवक गिरफ्तार

**रायगढ़।** दिनांक 31/03/2024 को थाना प्रभारी जूटमिल निरीक्षक मोहन भारद्वाज के नेतृत्व में पुलिस टीम द्वारा अम्बेडकर नगर काशीराम चौक में शराब रेड कार्रवाई किया गया। थाना प्रभारी को मुखबीर से सूचना मिली थी कि अम्बेडकर नगर काशीराम चौक में रहने वाले केशव बंजारे उसके घर के पास पुराने कच्चे मकान में अवैध बिक्री करने भारी मात्रा में शराब रखा हुआ है। पुलिस टीम को रेड कार्रवाई में आरोपित केशव बंजारे पिता सुरेश कुमार बंजारे उम्र 39 साल निवासी अम्बेडकर नगर काशीराम चौक थाना जूटमिल रायगढ़ के कब्जे से एक प्लास्टिक जरिकेन और एक प्लास्टिक बोतल में रखा 7 लीटर महुआ तथा 200- 200 एम.एल. वाली 20 पाउच महुआ शराब कुल शराब 11 बल्क लीटर कीमती करीबन 1,650 रूपये का मिला जिसे गवाहों के समक्ष विधिवत जप्त किया गया है। आरोपी केशव बंजारे के कृत्य पर थाना जूटमिल में धारा 34(2),59(क) आबकारी एक्ट के तहत कार्रवाई किया गया है। शराब रेड कार्रवाई में थाना प्रभारी जूटमिल निरीक्षक मोहन भारद्वाज, प्रधान आरक्षक विरेन्द्र भगत, आरक्षक लखेश्वर पुरसेठ और शशिभूषण साहू शामिल थे।

## आरपीएफ पुलिस ने दुर्ग रेलवे स्टेशन से 12 बच्चों को किया बरामद

**रायपुर । आरएनएस**

छत्तीसगढ़ के दुर्ग रेलवे स्टेशन में 12 बच्चों को रेलवे पुलिस ने रेस्क्यू किया है। ये बच्चे लावारिस हालात में पाए गए। पूछताछ में बच्चों ने बताया कि वे हैदराबाद स्थित बालाजी गुरुकुल के बच्चे हैं। सभी की उम्र 8 से 15 साल के बीच है. इन बच्चों को रेलवे पुलिस ने चाइल्ड हेल्प लाइन को सौंप दिया है। फिलहाल हैदराबाद और बिलासपुर के कुछ परिजनों से पुलिस ने सम्पर्क कर दस्तावेज प्रस्तुत कर बच्चों को ले जाने के लिए दुर्ग बुलाया है.

पुलिस ने ऐसे किया गिरफ्तार दुर्ग रेलवे स्टेशन में मिले इन बच्चों में असम, नागालैंड और छत्तीसगढ़ के बच्चे शामिल हैं। रेलवे पुलिस के अनुसार, आरपीएफ टीम रविवार को स्टेशन में सर्च कर रही थी। इसी दौरान प्लेटफार्म नंबर-4 पर बैठे बच्चों पर उनकी नजर पड़ी, जिनके साथ कोई पेरेंट्स नहीं थे. बच्चों से पूछताछ करने के बाद बच्चों को स्टेशन के कमरे में लाया गया और अफसरों को इसकी सूचना दी गई।

पूछताछ में बच्चों ने बताया कि वे हैदराबाद स्थित बालाजी गुरुकुल के छात्र हैं और सिकंदराबाद-रायपुर एक्सप्रेस से दुर्ग पहुंचे हैं. उनको अंबिकापुर में होने वाले योग कार्यक्रम में हिस्सा लेना है। इन बच्चों के साथ स्कूल प्रबंधन की ओर से कोई नहीं था। ऐसे में जवानों ने बच्चों को चाइल्ड हेल्प लाइन की मदद से आश्रय गृह भेज दिया है। आरपीएफ दुर्ग के प्रभारी एसके सिन्हा ने बताया कि, ये बच्चे देश के अलग-अलग हिस्सों से आए हैं. इनमें 3 बच्चे झारखंड, 2 नागालैंड, एक असम और 6 बच्चे छत्तीसगढ़ से हैं। प्रदेश के 6 बच्चों में 3 रायगढ़, 1-1 पेंड्रा, बलौदा बाजार और जशपुर के शामिल हैं। अफसरों का कहना है कि बिलासपुर से कुछ परिजन दुर्ग पहुंच रहे है। सभी दस्तावेजों के जांच के बाद उन्हें बच्चों को सौंप दिया जाएगा।

# गतेश्वर मंदिर में शिवलिंग की चोरी

**बिलासपुर । आरएनएस**

जिले के ओखर गांव में स्थित गतेश्वर नाथ मंदिर से शिवलिंग चोरी का मामल सामने आया है। बीती रात अज्ञात चोरों ने गांव के गतवा तालाब के पास स्थित व्हाइट संगमरमर पत्थर के शिवलिंग को चुरा लिया। मंदिर का ताला तोडक़र घुसे चोरों ने बेशकीमती मूर्ति की ही चोरी की है, दानपेटी को हाथ भी नहीं लगाया है। घटना को अंजाम देने के बाद अज्ञात चोर भाग निकले. घटना की जानकारी सुबह गांव के लोगों को हुई। जिसके बाद मामले की सूचना पुलिस को दी गई। पुलिस की टीम मामले की जांच कर रही है। जानकारी के मुताबिक पचपेड़ी थाना क्षेत्र के ग्राम ओखर में बस्ती के अंदर स्थित गतवा तालाब है। जिसके तट में स्थित गतेश्वर महादेव के शिवलिंग को कोई अज्ञात व्यक्ति काले ग्रेनाइट की जलहरी में स्थित सफेद संगमरमर की शिवलिंग को चोरी कर ले गया। चोरों ने मंदिर का ताला तोडक़र घटना को अंजाम दिया। ग्रामीण ने जब सुबह नहा कर पूजा करने मंदिर पहुंचे, तब देखा की जलहरी के ऊपर का भाग शिवलिंग गायब है। ग्रामीणों ने इसकी सूचना पचपेड़ी पुलिस को दी। जिसके बाद पुलिस अफसर फॉरेंसिक और डॉग स्क्वायड टीम के साथ मौके पर पहुंचे. फिलहाल, जांच जारी है। ग्रामीणों ने बताया कि गांव में ही खुदाई के दौरान काले ग्रेनाइट की जलहरी जमीन से खुदाई के दौरान मिली थी। जिसको ऊपर जलहरी में सफेद संगमरमर की शिवलिंग को स्थापित किया था। 1947 में भारत आजाद होने के बाद स्वर्गीय कपिल नाथ पांडेय ने इस शिवलिंग को मध्यप्रदेश स्थित भेड़ाघाट से लेकर आये थे। माघ की पूर्णिमा को में बीते 5 वर्षों से ग्राम ओखर में मेला का आयोजन किया जा रहा है। गतेश्वर नाथ की पूजा अर्चना के बाद मेले की शुरवात होती है। ग्रामीणों ने बताया कि गतेश्वर नाथ शिवलिंग का आकार धीरे-धीरे बढ़ रहा था। वहीं साल में तीन बार अपना रंग बदलता था. जिस मंदिर में शिवलिंग की चोरी हुई है, वहां लगे सीसीटीवी कैमरे खराब हो गए है. पुलिस ने गांव में लगे एक घर के सीसीटीवी कैमरा को चेक किया, तो पता चला कि रात 1:40 बजे के आसपास बाइक में सवार दो व्यक्ति दिखाई दे रहे हैं. जो टोपी पहने हुए है और मुंह को कपड़े से बांध रखे हैं। आशंका जताई जा रही है कि यही व्यक्ति शिवलिंग को चोरी कर ले गए होंगे।

SJU - Contact No. +91 9301915303 E-mail ID- sjunion29@gmail.com
**Social Justice Union**
Registered with Govt. No. 5526
Join SJU
**अधिकार से न्याय तक**

**आवश्यकता**
इस संघ का गठनसम्पूर्ण छत्तीसगढ़ में पीड़ितो को न्याय दिलाने के लिए किया गया है, जिसे छत्तीसगढ़ शासन से मान्यता प्राप्त है, जिसका क्रमांक 5526 है, तथा सम्पर्क हेतु नं0 9301915303 है। इस संघ के गठन पर संघ के संरक्षक एवं लीगल एडवाईज़र श्री तथागत श्रीवास्तव (अधिवक्ता, माननीय उच्च-न्यायालय), एवं गर्वनिंग बोर्ड के सदस्यों कु0 सी.बी.वर्मा, श्रीमती ऐकता श्रीवास्तव, श्रीमती रजनी राकुन्डे एवं अन्य ने शासन को धन्यवाद ज्ञापित किया, और कहा कि संघ के पास सामाजिक अन्याय अथवा मानवाधिकार हनन सम्बंधी तथ्य के प्रस्तुत होने पर, उसे लिखित में शासन एवं प्रशासन में विभिन्न महत्वपूर्ण पदों पर आसीन एवं सक्षम व्यक्तियों के समक्ष संघ की ओर से प्रस्तुत किया जावेगा। साथ ही, विधि, न्याय सम्बंधी कार्य हाथ में लेकर बेसहारा, गरीब, परित्यक्ता, विधवाओं के उत्थान के लिए कार्य किया जावेगा।

**उद्देश्य एवं नियुक्तियां**
मुख्य रूप से संघ का उद्देश्य छत्तीसगढ़ प्रदेश के समस्त जिलों एवं ब्लॉक स्तर में सामाजिक न्याय हेतु प्रचार-प्रसार करना, तथा मानवाधिकार हेतु जागरूकता पैदा करना है। संघ साक्षरता एवं अनौपचारिक शिक्षा के माध्यम से मानवाधिकार के सम्बंध में प्रचार प्रसार करना चाहता है। इस हेतु प्रदेश के समस्त जिलों एवं ब्लॉक स्तर पर सामाजिक न्याय एवं मानवाधिकार संरक्षण केन्द्र की स्थापना की जावेगी, और उनमें संघ के द्वारा आधिकारिक नियुक्तियाँ की जावेंगी। प्रत्येक व्यक्ति इस संघ में सदस्य बन सकता है, जिसके लिए संघ के द्वारा निर्धारित नियम एवं शर्तो का पालन किया जाना अनिवार्य है। इस हेतु सदस्यता फार्म संघ के प्रधान कार्यालय में उपलब्ध है।

**मुख्य बिन्दु**
प्रताड़ित एवं पीड़ित व्यक्ति की समस्याओं को सुनना, आवेदन लेना तथा पीड़ित को न्याय दिलाने के लिए उचित साधन एवं संसाधनों की जरूरत के अनुसार व्यवस्था करना मूल रूप से इस संघ का कार्य है। पीड़ित व्यक्तियों को न्यायिक, गैर-न्यायिक एवं सामाजिक समस्या पर विधिनुसार एवं संविधान के अनुसार आवश्यक मदद की जावेगी।

**पीड़ित संपर्क करें**
संघ विशेष रूप से मानवाधिकार दिलाने एवं सामाजिक न्याय प्राप्ति हेतु पीड़ित मानव की हर संभव मदद करेगा तथा इस हेतु पीड़ित मानव के लिए भारतीय संविधान के तहत् विधिक सहायता की व्यवस्था आवश्यकतानुसार करेगा। यदि कोई पीड़ित है तो इस संघ से सम्पर्क कर सकता है।

**अन्य बिन्दु**
- संघ पर्यावरण संरक्षण एवे पर्यावरण सम्बंधी चेतना हेतु भी जागरूकता लाने का प्रयास करेगा।
- पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश मे महिलाओं के अधिकार, श्रमिकों के अधिकार, आदिवासियों के अधिकार, अनुसूचित जाति-जनजातियों के अधिकारों के सम्बंध में विधिक एवं संवैधानिक रीति के कार्यक्रमों को इस संघ द्वारा संचालित किया जावेगा तथा प्रत्येक पीड़ित को उसके कर्तव्यों एवं अधिकारों के बारे में सचेत किया जावेगा। न्याय प्राप्ति हेतु हर संभव मदद की जावेगी।
- संघ शासन से मान्यता प्राप्त है, अतः शासन एवं प्रशासन में विभिन्न पदों पर आसीन् तक पीड़ित की परेशानी को आसानी से पहुँचाया जा सकता है। इस हेतु संघ शासन एवं प्रशासन में विभिन्न महत्वपूर्ण पदों पर आसीन व्यक्तियों से मुलाकात कर पीड़ित को न्याय दिलाने में समस्त सहायता भी करेगा।
- संघ द्वारा संवैधानिक शिक्षा एवं सामाजिक विकास से सम्बंधित रिसर्च कार्यक्रम किए जावेंगे, एवं समान उद्देश्यों वाली अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय, सरकारी तथा गैरसरकारी संस्थाओं के साथ मिलकर काम किया जावेगा।
- संघ सामाजिक कुरीतियों को दूर करने के लिए कार्यशाला का आयोजन भी करेगा। संघ देश के भूले बिसरे पर महान विभूतियों के सम्मान में कार्यक्रम भी आयोजित कराएगा।

पढिए .... न्यायसाक्षी समाचार-पत्र
:: Address :: Behind Stadium Near Career School, Raigarh, C.G. Pin 496001
www.nyaysakshi.com
सभी से अपील की गई है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में संघ से जुड़कर साथ का साथ दिया जावे ताकि प्रत्येक पीड़ित मानव को न्याय मिल सके एवं एक अच्छे समाज का निर्माण हो सके।
Join SJU Join SJU Join SJU Join SJU Join SJU

## डाक मतपत्र से मतदान करने के लिए 12 अप्रैल से फॉर्म भर सकेंगे जिले के अनिवार्य सेवा कर्मी

**सारंगढ़ बिलाईगढ़**

लोकसभा निर्वाचन 2024 अंतर्गत भारत निर्वाचन आयोग द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य हेतु 10 सेवाओं को "अनिवार्य सेवा" के रूप में अधिसूचित किया गया है। इन 10 सेवाओं में स्वास्थ्य विभाग, विद्युत विभाग, रेल परिवहन, डाक एवं टेलीग्राम विभाग, बीएसएनएल, आल इण्डिया रेडियो, दूरदर्शन, छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, मीडियाकर्मी जिन्हें आयोग की अनुमति से प्राधिकार पत्र जारी किये जाएंगे एवं भारतीय खाद्य निगम शामिल हैं। अनिवार्य सेवा के रूप में अधिसूचित किए जाने से इन सेवाओं के ऐसे कर्मचारी, जो अपनी शासकीय ड्यूटी के कारण मतदान दिवस को मतदान केंद्र पर जाकर अपना वोट नहीं डाल पाते है, केवल उनके लिए डाकमत पत्र के माध्यम से मतदान की सुविधा प्रदान की जाती है। ऐसे सभी कर्मियों को प्रारूप 12घ पर निर्वाचन की अधिसूचना जारी होने के पांच दिनों के भीतर संबंधित सहायक रिटर्निंग अधिकारी के समक्ष अपना आवेदन करना होता है। ऐसे में सारंगढ़ बिलाईगढ़ जिले के कर्मियों को अधिसूचना दिनांक 12 अप्रैल 2024 से 17 अप्रैल 2024 करना होगा। सरगुजा, रायगढ़, जांजगीर-चांपा, कोरबा, बिलासपुर, दुर्ग एवं रायपुर

लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए फॉर्म 12घ जमा करने की अंतिम तिथि 17 अप्रैल 2024 है। प्रारूप 12घ में आवेदन करने वाले कर्मचारी को आवेदन में अपना मोबाइल नम्बर, वोटर आईडी नंबर एवं मतदाता सूची में भाग संख्या एवं सरल क्रमांक सही-सही दर्ज करना होगा। उन्हें वोटर आईडी कार्ड की छायाप्रति भी साथ में संलग्न करनी होगी। निर्वाचक नामावली में कर्मचारी की अद्यतन भाग संख्या एवं सरल क्रमांक पता करने हेतु वोटर हेल्पलाइन एप्प का उपयोग किया जा सकता है जिसमे वोटर आईडी कार्ड नंबर डालकर इसे खोजा जा सकता है। जिला स्तर पर नोडल अधिकारीयों को फॉर्म 12घ में प्राप्त आवेदनों को इसके भाग 2 में सत्यापित करना अनिवार्य होगा।

नियत समयावधि तक प्राप्त सभी पात्र अनुपस्थित अनिवार्य श्रेणी के मतदाताओं को जिले में पोस्टल वोटिंग सेंटर स्थापित कर डाक मतपत्र के माध्यम से मतदान कराया जाएगा। पोस्टल वोटिंग सेंटर जिले में रिटर्निंग अधिकारी द्वारा निर्धारित किए गए लगातार 3 दिनों तक सुबह 9 से सायं 5 बजे तक संचालित किया जाएगा। पोस्टल वोटिंग सेंटर की स्थापना की सूचना से निर्वाचन लड़ने वाले सभी अभ्यर्थियों को अवगत कराया जाएगा ताकि वे मतदान की कार्यवाही के दौरान स्वयं अथवा अपने अधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से उपस्थित रहकर इसका अवलोकन कर सकें। इसके साथ ही सम्पूर्ण प्रक्रिया की वीडियोग्राफी भी कराई जाएगी। प्रत्येक दिवस मतदान उपरान्त पोस्टल वोटिंग सेण्टर से प्राप्त सभी डाक मतपत्रों को ट्रेज़री स्थित स्ट्रांग रूम में रख कर मतपेटी को सील किया जाएगा।फॉर्म 12घ में आवेदन प्राप्त होने और इसके स्वीकृत होने पर मतदाताओं को पोस्टल वोटिंग सेंटर स्थापना की तिथि एवं स्थान सम्बन्धी सूचना प्रदान की जाएगी जिससे कि वे आकर अपना मतदान कर सकें। ऐसे सभी मतदाता मतदान दिवस को मतदान केंद्र पर अपना वोट नहीं डाल सकेंगे। इसलिए इन सेवाओं के ऐसे व्यक्ति जो मतदान के दिन मतदान केंद्र जाकर अपना वोट डालने में सक्षम है उन्हें इस सुविधा की पात्रता नहीं होगी और उन्हें आवेदन फॉर्म 12घ नहीं भरना होगा।